न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 35/2017

अपीलांट
श्रीमती गंगा पुत्री मीठू
पत्नी छुगाराम जाति मेघवाल
निवासी खारिया कला हाल
निवासी बिंजराड़ तहसील
चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटस
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामसर
2. मलूका पुत्र मीठू
3. फोटो पुत्र मीठू
4. गुलाबा पुत्र मीठू
   जातियान मेघवाल, निवासियान खारिया कला तहसील रामसर
5. श्रीमती धनी पुत्री मीठू पत्नी लूणाराम जाति मेघवाल निवासी बींजराड़ तहसील चौहटन
6. लूणा पुत्र पूनमा
7. खंगार पुत्र पूनमा
8. भीमा पुत्र पूनमा
9. धर्मा पुत्र निम्बा
10. जगमाल पुत्र अगरा
11. मोतीलाल पुत्र अगरा
    जातियान मेघवाल निवासी खारिया कला तहसील रामसर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 230 दिनांक 03.12.2001 तहसीलदार रामसर।

उपस्थित– 1. अपीलांट उपस्थित।
2. रेस्पाडेन्टस संख्या 02, 04, 05 व 06 उपस्थित।
3. रेस्पोडेंटस संख्या 01 की ओर से तहसीलदार रामसर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय **दिनांक 17.5.2018**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट के पिता मीठू की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा खारिया कला पटवार हल्का सेतराउ में खसरा नंबर 287 रकबा 75.12 बीघा तहसील रामसर जिला बाड़मेर में आई हुई है। जिसमें अपीलांट के पिता मीठू का 1/3 हिस्सा खातेदारी में अंकित था। अपीलांट के पिता मीठू का स्वर्गवास दिनांक 25.7.2001 को होने पर अपीलाधीन आराजी का 1/3 हिस्सा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु रेस्पोडेंटस संख्या 2 से 4

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

ने हल्का पटवारी से मिलकर अपीलांट के पिता मीठू के 1/3 हिस्से की भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 230 दिनांक 03.12.2001 दर्ज की गई। वादग्रस्त भूमि में से अपने हिस्से की भूमि पर लेने हेतु वर्तमान जमांबदी की नकले हल्का पटवारी से प्राप्त करने पर उसे सर्वप्रथम दिनांक 25.04.2017 को आलोच्य नामान्तरकरण की जानकारी हुई। पटवारी हल्का द्वारा जानबूझकर केवल अपीलांट को उसके कानूनी हक से वंचित करने की नियत से मीठू के विधिक उत्तराधिकारियो की जांच किये बगैर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया जो कानूनन गलत है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया।

2. हमने अपीलांट की अपील को दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न्याय आपके द्वार कार्यक्रम 2018 के तहत राजस्व कोर्ट केम्प रामसर में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान को नोटिस की तामीली करा दी गई है। अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेंटस संख्या 02, 04, 05 व 06 उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 01 तहसीलदार रामसर उपस्थित रहे।

3. हमने उभय पक्षो को सुना। अपीलांट द्वारा जाहिर किया गया कि अपीलांट स्वर्गीय मीठू की जायन्दा पुत्री एवं वैध उत्तराधिकारी है। तहसीलदार रामसर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 230 दिनांक 3.12.2001 पारित करने से पूर्व स्वर्गीय मीठू के वारिसान की जांच नहीं की तथा न ही इस संबंध में अपीलांट को कोई मौखिक अथवा लिखित में सूचना दी गई। इसप्रकार अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर तहसीलदार रामसर द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 230 दिनांक 3.12.2001 पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

4. हमने पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार रामसर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 230 दिनांक 03.12.2001 को निरस्त करने हेतु पेश की है। अपीलांट के पिता मीठू की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा खारिया कला पटवार हल्का सेतराउ में खसरा नंबर 287 रकबा 75.12 बीघा तहसील रामसर जिला बाड़मेर में आई हुई है। जिसमें अपीलांट के पिता मीठू का 1/3 हिस्सा खातेदारी में अंकित था। अपीलांट के पिता मीठू का स्वर्गवास दिनांक 25.7.2001 को हो गया। अपीलांट का यह कथन कि उसका विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है, यदि उसका

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है, तो उसे मीठू की मृत्यु के पश्चात अपने नाम से नामान्तरकरण की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने की जानकारी नहीं होना कथन विश्वास योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा की गई अपील तथ्यपरक प्रतीत नहीं होती है। तहसीलदार रामसर द्वारा पारित आदेश के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपील पेश करने की अवधि 30 दिन निर्धारित की हुई है। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार रामसर द्वारा दिनांक 3.12.2001 को पारित आदेश के विरूद्व 15 वर्ष 06 माह बाद दिनांक 03.5.2017 को हमारे समक्ष पेश की है। राजस्व नियमों के अन्तर्गत हर चौथे वर्ष नयी जमाबन्दी बनती है व हर वर्ष मजमें आम में जमाबंदी का पठन किया जाता है। वर्ष 2001 के बाद राज्य सरकार ने कई बार राजस्व अभियान/न्याय आपके द्वार अभियान आयोजित किये है। हर अभियान में जमाबन्दी का पठन होता है। फिर भी अपीलांट का यह कथन कि उसको अपीलाधीन आदेश का ज्ञान नहीं हुआ है, मानने योग्य नहीं है। अपीलांट को धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख करना था कि उसे अपीलाधीन आदेश का ज्ञान किस तारीख को, किस प्रकार से एवं किसके द्वारा किया गया। मगर अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया हैं। अपीलांट को मियाद को क्षमा करने हेतु विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये था। मगर इस मामले में अपीलांट के अधिवक्ता मियाद को कन्डोन करने हेतु कोई सन्तोषजनक कारण नहीं बता पाये है। इन सभी तथ्यो से स्पष्ट हैं कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान पूर्व में हो चुका था। अपीलांट ने यह अपील काफी विलम्ब से पेश की है तथा करीब 15 वर्ष 06 माह की लम्बी अवधि को क्षमा करने हेतु कोई युक्तियुक्त कारण हस्तगत प्रकरण में साबित नहीं कर पाये है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील असाधारण देरी से प्रस्तुत करने के कारण खारिज की जाती है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

निर्णय कोर्ट केम्प रामसर में आज दिनांक 17.5.2018 को खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)
अपर कलक्टर, बाड़मेर